पत्र संख्या – 3ए 3-(या0भ0)–02/2010– 2894

बिहार सरकार

वित्त विभाग

पटना, दिनांक 17.3.2010

प्रेषक,

रबीन्द्र पवांर

सचिव, संसाधन

सेवा में,

महालेखाकार

बिहार, पटना।

विषय :– राज्य के सरकारी सेवकों को देश के अंदर छुट्‌टी यात्रा रियायत की सुविधा प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि राज्य के सरकारी सेवकों को केन्द्रीय छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुनरीक्षित वेतनमान एवम् भत्तों पर अनुशंसा देने के निमित्त गठित वेतन समिति की अनुशंसा एवम् उस पर त्रिसदस्यीय समिति के परामर्श पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिया गया है :–

1. केन्द्रीय कर्मियों जिन्हें पूरे देश की सीमा में Leave Travel concession (एल0टी0सी0) की सुविधा अनुमान्य है, की तरह राज्य के सरकारी सेवकों को भी पूरे देश की सीमा के अंदर छुट्‌टी यात्रा रियायत की सुविधा अनुमान्य होगी । परन्तु राज्य के सरकारी सेवकों को उनके पूरे सेवा काल में मात्र दो बार ही यह सुविधा अनुमान्य होगी तथा प्रथम बार छुट्‌टी यात्रा रियायत सुविधा का उपभोग करने के पश्चात दूसरी बार छुट्‌टी यात्रा रियायत सुविधा के उपभोग के बीच कम से कम पॉच वर्ष का अन्तराल होना अनिवार्य होगा।
2. छुट्‌टी यात्रा रियायत (एल0टी0सी0) की सुविधा राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वैसे सभी सरकारी सेवकों को अनुमान्य होगी जो यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि को एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चुके हैं। यदि अनाधिकृत गैर हाजिर या अन्य कारण से सेवा भंग हुई हो और उसे माफ न किया गया हो, तब उसे एक साल की लगातार सेवा में भी भंग होना माना जायगा।
3. एल0टी0सी0 से संबंधित दावा की प्रतिपूर्ति निम्न रूपेण अनुमान्य होगी –

(क.) **रेल द्वारा यात्रा**

ग्रेड पे		अनुमान्य श्रेणी
8700 रूपया एवम् इससे अधिक	–	ए0सी0–2 टीयर शयनयान
4800–7600 रूपया	–	ए0सी0–2 टीयर शयनयान
2400–4600 रूपया	–	ए0सी0–3 टीयर शयनयान/ कुर्सीयान (ए0सी0 चेयर कार)
2000 रूपया एवम् इससे कम	–	सामान्य स्लीपर क्लास

(ख.) रेल से जुड़े स्थानों के बीच सड़क से यात्रा करने पर सार्वजनिक परिवहन के किसी भी माध्यम द्वारा यात्रा की अनुमति इस शर्त्त पर होगी कि कुल किराया पात्रता श्रेणी द्वारा रेल किराया, अथवा वास्तविक किराया में जो कम हो, अनुमान्य होगा ।

(ग) छुट्टी यात्रा रियायत हेतु ई–टिकट सुविधा एवम् रेलवे के वातानुकूलित प्रथम श्रेणी एवम् वायुयान से यात्रा की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

4. यह सुविधा सरकारी कर्मी के परिवार के मात्र चार सदस्यों के लिए अनुमान्य होगी ।

5. वैसे सरकारी कर्मी जिन्होंने पूर्व के निर्णयों के आलोक में एल.टी.सी. सुविधा का उपयोग किया है, वे भी इस प्रावधान के अधीन छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा का उपभोग पूर्व के प्रावधान के तहत उपभोग किये गये एल.टी.सी.सुविधा के पाँच वर्ष के अन्तराल बाद कर सकेंगे ।

6. यह आदेश दिनांक 01.04.2010 से प्रभावी होगा तथा इस आदेश के प्रभावी होने की तिथि से गृह यात्रा छुट्टी रियायत (एच0 टी0 सी0)की सुविधा अनुमान्य नहीं रह जायेगी।

7. वित्त विभाग द्वारा पूर्व में इस संदर्भ में निर्गत सभी परिपत्रों/पत्रों को इस पत्र में अंकित प्रावधानों के हद तक संशोधित समझा जाय ।

विश्वासभाजन
15.3.10
(रबीन्द्र पवांर)
सचिव (संसाधन),
वित्त विभाग।

ज्ञापांक . 3ए-3(या0भ0)–02/2010 2894 वि (2) पटना, दिनांक 17.3.2010

प्रतिलिपि :– राज्यपाल के प्रधान सचिव /सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी/ सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.3.10
(रबीन्द्र पवांर)
सचिव (संसाधन)
वित्त विभाग ।

ज्ञापांक . 3ए-3(या0भ0)–02/2010 2894 वि (2) पटना, दिनांक 17.3.2010

प्रतिलिपि :– महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा/ सचिव, बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.3.10
(रबीन्द्र पवांर)
सचिव (संसाधन),
वित्त विभाग ।